

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- 29 /FP/UK/ others/24711/2017 दिनांक: देहरादून 5 जुलाई 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल मालरोड़ से घटगढ तक मार्ग के किनारे (कि०मी० ०० से कि०मी० २१ तक एस.एच.-४१) ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु आईडिया सेलुलर लि० को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में। (०.६३ हे०)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल मालरोड़ से घटगढ तक मार्ग के किनारे (कि०मी० ०० से कि०मी० २१ तक एस.एच.-४१) ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु आईडिया सेलुलर लि० को वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० के अन्तर्गत अनुमित प्रदान करने का प्रस्ताव आने लाइन प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल एवं वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, नैनीताल द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की गई है। चूंकि प्रश्नगत कार्य भारत सरकार की परियोजना ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु व्यापक जनहित में किया जा रहा है। अतः वन भूमि के कथित प्रयोजन हेतु अनुमति दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्रफल १.०० हे० से कम है तथा क्षेत्र किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में वृक्षों का पातन निहित नहीं है।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या ११-५६८/२०१४-एफ.सी. दिनांक ०२-०२-२०१५ के द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाइन बिछाने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। (संलग्नक-१) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक २४-०४-२००८ एवं आदेश दिनांक ०९-०५-२००८ तथा तत्कम में भारत सरकार के पत्रांक ५-३/२००७-एफ.सी. दिनांक ०५-०२-२००९ (संलग्नक-२) के द्वारा कतिपय प्रयोजनों हेतु एन०पी०वी० की देयता से छूट प्रदान की गई ही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल मालरोड़ से घटगढ तक मार्ग के किनारे (कि०मी० ०० से कि०मी० २१ तक एस.एच.-४१) ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ others/24711/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. जिलाधिकारी, जनपद-नैनीताल।
२. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
३. प्रबन्धक, आईडिया सैलुलर लि०, उ०प्र० (west) सर्किल, A/६८ सैक्टर ६४, नोयडा २०१३०१।

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी